

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ०ग०)

॥ परिपत्र ॥

क्रमांक 1844 / दो-12-41/1975

दुर्ग, दिनांक 30/05/2026

न्यायालय परिसर को पर्यावरण के प्रति जागरूक, ऊर्जा-कुशल और जल-संरक्षित बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित मानकों (National Green Standards) के अनुरूप एक विशेष पहल शुरू की जा रही है। इस स्थापना में पदस्थ समस्त सम्माननीय न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारी साथियों से अनुरोध है कि वे एक सजग नागरिक और लोक सेवक के रूप में इस मुहिम का हिस्सा बनें और अपने दैनिक कार्यस्थल पर निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सहर्ष पालन कर अपना अमूल्य योगदान दें:-

ऊर्जा संरक्षण के वैश्विक मानक (SOP for Energy Efficiency)

- 'लीविंग-रूम, स्विच-ऑफ' शिष्टाचार (Leaving-Room, Switching-Off):** जब भी आप किसी बैठक, लंच या कार्यवश अपने कक्ष/अनुभाग से बाहर जाएं, तो लाइट और पंखे बंद करना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा उठाया गया यह छोटा सा कदम कार्यालय की ऊर्जा दक्षता को सुदृढ़ करेगा।
- प्राकृतिक प्रकाश का स्वागत (Daylighting):** दिन के दौरान कार्यालय परिसर में उपलब्ध प्राकृतिक रोशनी (Natural Light) का अधिकतम उपयोग अपने स्वास्थ्य के अनुरूप सुनिश्चित करें। जहाँ पर्याप्त धूप आ रही हो, वहाँ अनावश्यक लाइटें बंद रखकर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं।
- स्वास्थ्य और ऊर्जा के अनुकूल तापमान:** ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के मानक संचालन नियमों के अनुसार, एयर कंडीशनर (A.C.) को हमेशा **24°C से 25°C** के मध्य संचालित करें। यह तापमान हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे आरामदायक है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है।
- शून्य बिजली बर्बादी (Zero Phantom Load):** कार्यालय समय की समाप्ति पर कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन और अन्य तकनीकी उपकरणों को स्टैंडबाय मोड पर छोड़ने के बजाय मुख्य पावर स्विच (**Main Switch**) से बंद करने का गौरवपूर्ण अभ्यास करें।

जल संरक्षण के वैश्विक मानक (SOP for Water Sustainability)

5. **जल का आदरपूर्ण उपयोग (Mindful Water Consumption):** पानी प्रकृति का अमूल्य उपहार है। हाथ धोते समय या कैंटीन/वाशरूम के उपयोग के दौरान नल को केवल आवश्यकता होने पर ही खोलें। बहते पानी को रोककर जल संरक्षण के नायक बनें।
6. **त्वरित सुधार की संस्कृति (Proactive Leakage Care):** यदि न्यायालय परिसर के किसी भी हिस्से में पानी का रिसाव (Leakage) या टपकता हुआ नल दिखाई दे, तो सजगता दिखाते हुए तुरंत इसकी सूचना **नजारत अनुभाग** को दें, ताकि 'त्वरित प्रतिक्रिया टीम' (Quick Response Team) द्वारा उसे तुरंत ठीक किया जा सके।
7. **हरित और स्वच्छ परिसर:** एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक (Single-Use Plastic) की पानी बोतलों के स्थान पर परिसर में उपलब्ध वाटर डिस्पेंसर और अपनी व्यक्तिगत रिफिलेबल बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देकर न्यायालय को प्लास्टिक-मुक्त बनाने में सहयोग करें।

सामूहिक जिम्मेदारी एवं प्रोत्साहन:

सभी अनुभाग प्रभारी और पीठासीन अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में इन पर्यावरण-हितैषी मानकों को सुचारु रूप से लागू करने के लिए सहयोगात्मक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

आइए, हम सब मिलकर अपनी कार्यशैली में इन सकारात्मक बदलावों को शामिल करें।

(के. विनोद कुजूर) 
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (छ.ग.)

30/5/26